



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
विदेश मंत्रालय  
Government of India  
Ministry of External Affairs

पंजीकरण प्रमाणपत्र  
**REGISTRATION CERTIFICATE**

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की  
धारा 11 के अधीन जारी  
**ISSUED UNDER SECTION 11 OF THE  
EMIGRATION ACT, 1983**

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 11 के अधीन उस एजेंसी को जारी किया गया है जिसके विवरण इस प्रमाणपत्र में दिये गये हैं जो इस प्रमाणपत्र को जारी किये जाने की तारीख से भारतीय श्रमिकों को विदेशी नियोक्ताओं के पास नियोजन हेतु भर्ती करने का व्यवसाय इस प्रमाणपत्र में विनिर्धारित शर्तों और निबंधनों पर शुरू करेगा या चलाएगा।

THIS REGISTRATION CERTIFICATE IS ISSUED UNDER THE PROVISION OF SECTION 11 OF THE EMIGRATION ACT, 1983 TO THE AGENCY WHOSE PARTICULARS HAVE BEEN GIVEN IN THE CERTIFICATE TO COMMENCE OR CARRY ON THE BUSINESS OF RECRUITMENT FOR DEPLOYMENT OF INDIAN WORKERS WITH FOREIGN EMPLOYERS WITH EFFECT FROM THE DATE OF ISSUE OF THE CERTIFICATE AND SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS STIPULATED IN THE CERTIFICATE.



पंजीकरण प्राधिकारी का  
हस्ताक्षर, नाम और मोहर


SIGNATURE, NAME AND SEAL OF  
THE REGISTERING AUTHORITY  
Protector General of Emigrants

**एजेंसी का विवरण**  
**PARTICULARS OF THE AGENCY**

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.  
Registration Certificate  
Number B-1206/MUM/PART/100/5/9427/2019
2. एजेंसी का नाम  
Name of the Agency M/s. Resources India - Trade & Talents
3. एजेंसी के कार्यालय का पता  
Office Address of the Agency G-2 & G-12, Dutta Krupa CHS, Building No. 2, Next to Sane Gauraji School, Off S.V. Road, Near Miler Signal, Santacruz (W), Mumbai - 400054
4. एजेंसी की प्रकृति (कम्पनी/स्वायत्त फर्म/साझेदारी फर्म)   
Nature of Agency (Company/Proprietorship firm/Partnership firm)  
Partnership firm
5. पं. प्र. धारक का नाम  
Name of RC Holder Shri. Harsh T. Gudiwala
6. पं. प्र. धारक के जन्म की तारीख  
Date of birth of the RC Holder 14/11/1995
7. पं. प्र. धारक की राष्ट्रियता  
Nationality of the RC Holder INDIAN
8. एजेंसी में पदनाम  
Position in the Agency Managing Partner

9. एजेंसी की दूरभाष सं.  
Telephone Number of the Agency 022-26600455
10. एजेंसी की फ़ैक्स सं.  
Fax Number of the Agency .....
11. एजेंसी का ई-मेल पता  
Email address of the Agency resourcesindiatandt@gmail.com
12. पं. प्र. जारी करने की तारीख  
Date of issue of RC 08/02/2019
13. वैधता अवधि/Period of validity ..... five वर्ष/Years  
from 08/02/2019 से/ to 06/12/2023 तक
14. वैधता समाप्त होने की तारीख  
Date of expiry of validity ..... 06/12/2023
15. भर्ती के लिए श्रमिकों की सीमा  
Limit of workers to be recruited ..... 100 (Hundred Only)



  
पंजीकरण प्राधिकारी का  
हस्ताक्षर, नाम और मोहर  
SIGNATURE, NAME AND SEAL OF  
THE REGISTERING AUTHORITY  
Protector General of Emigrants

प्रमाणपत्र सं. ख 1206/MUM/PART/100/5/  
CERTIFICATE NO. B 9427/2018

प्रपत्र-V  
भारत सरकार  
विदेश मंत्रालय  
प्रमाणपत्र  
Form - V

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS  
CERTIFICATE

[नियम 10 (2) देखें]  
[See rule 10 (2)]

भारतीय श्रमिकों को विदेशी नियोजकों के पास नियोजन हेतु भर्ती करने का व्यवसाय शुरू करने या चलाने हेतु उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 11 के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन दिनांक 27/03/2018 के संदर्भ में मैसर्स ..... को उक्त प्रमाणपत्र एतद्वारा इस प्रमाणपत्र को जारी करने की तारीख से निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर प्रदान किया जाता है, अर्थात् :  
With reference to the application dated 27/03/2018..... for grant of a Certificate under Section 10 of the Emigration Act, 1983 to commence or carry on the business of recruitment for deployment of Indian workers with foreign employers, M/s. Kcaurus India Trade & Talents..... is hereby granted the said certificate effective from the date of issue of this certificate, Subject to the following terms and conditions, namely:

(i) कि यह व्यवसाय / that the business shall be conducted at.....  
G-24 G-12 Dutta Krupa CHS, Building No. 2,  
Next to Sane Gurusji School, Off. S.V. Road, Near Milan  
Signal, Santacruz(W), में किया जाएगा। Mumbai - 400054



- (ii) कि यह प्रमाणपत्र ..... पाँच ..... वर्षों की अवधि के लिए या 100 .....  
..... (केवल सी) ..... श्रमिकों की भर्ती पूरी होने तक, जो पहले  
हो, वैध रहेगा। विनिर्धारित अवधि से पहले निर्धारित संख्या के श्रमिकों की भर्ती पूरी  
हो जाने की स्थिति में प्रमाणपत्र धारक को वास्तविक माँग का साक्ष्य प्रस्तुत करने और  
नियम 8 के उप नियम (2) के अधीन अतिरिक्त प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर प्रमाणपत्र  
की वैधता अवधि पूरी होने तक भर्ती करते रहने की अनुमति दी जा सकेगी।  
that this certificate is valid for a period of ..... फि.से. .... years or till  
the completion of the recruitment of ..... 100 ..... (हundred only) ..  
workers, whichever is earlier. In the event of the recruitment of the  
specified number getting completed before the specific period, the  
holder of the certificate can be permitted to continue recruitment upto  
the expiry of the certificate on production of evidence of actual demand  
and on furnishing additional security under sub rule (2) of Rule 8;
- (iii) कि प्रमाणपत्र धारक यह व्यवसाय निदेशक/साझेदार/स्वामी के हस्ताक्षर और  
मोहर के अंतर्गत करेगा और यह प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय नहीं होगा।  
that the holder of the certificate shall conduct business under signatures  
and seal of the director / partners / proprietor and the certificate shall  
not be transferable;
- (iv) कि इस पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक फोटोप्रति व्यवसाय-परिसर में एक ध्यानाकर्षी  
स्थल पर पठनीय बड़े अक्षरों में लिखकर दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही किसी अन्य  
परिसर में, यदि कोई उपलब्ध है, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा सत्यापित उसकी एक प्रति  
ऐसे शाखा कार्यालय के व्यवसाय परिसर में ध्यानाकर्षी स्थल पर पठनीय बड़े अक्षरों में  
लिखकर दर्शायी जाएगी जिसमें भर्ती एजेंट को व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत करने  
हेतु पृष्ठांकित किया गया होगा। मूल प्रमाणपत्र उत्प्रवासन प्राधिकारियों/विधि प्रवर्तन  
प्राधिकारियों और नियोजकों द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।  
that a photocopy of this registration certificate shall be prominently  
displayed at a conspicuous place in the premises of the business.  
Also, a copy attested by the registering authority with an endorsement  
of having authorized the recruiting agent to carry on the business at  
additional premises, if any, shall be displayed at a conspicuous place in  
the business premises of such Branch Office, Original Certificate shall  
be produced on demand by the emigration authorities/law enforcing  
authorities and employer;